IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
50 1967 2017 स्वर्ण जयंती Golden Jubilee

(मानव संसाधन विभाग)
मुख्यालय

संदर्भ सं.-मु./मा.सं./पॉल.मेडिकल/2017 14 मार्च, 2017

परिपत्र सं. 1704

विषयः चिकित्सा व्यय की कार्योत्तर आधार पर प्रतिपूर्ति

नियमानुसार, इफको के कर्मचारी समिति के निर्धारित नियमों व विनियमों के तहत किसी भी डॉक्टर से या अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष परामर्श/अस्पताल में भर्ती होने तथा इलाज शुरू करने/इलाज बदलने से पहले अपने इकाई/प्रभाग के मेडिकल ऑफिसर से परामर्श ले लें और इलाज के अनुमानित खर्चे को भी अनुमोदित करवा लें।

यह पाया गया है कि मेडिकल बिलों की कार्योत्तर आधार पर प्रतिपूर्ति बढ़ती जा रही है जिसका कारण है कि कर्मचारी चिकित्सा अधिकारी के पूर्व अनुमोदन/परामर्श के बिना ही इलाज करा लेते हैं और फिर कार्योत्तर आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा व्यय की कार्योत्तर आधार पर प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं आपातकालीन परिस्थितियों में की जाएगी जब कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होने के लिए पूर्व अनुमोदन लेने में असमर्थ है। अन्य मामलों में, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के नियमों का सख्ती से पालन करें तथा कार्योत्तर आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा करने से बचें।

नकुल पाठक 14/03/17.
(नकुल पाठक)
महा प्रबंधक(मानव संसाधन)

वितरण

1. संयुक्त प्रबंध निदेशक
2. निदेशक(तकनीकी)/निदेशक(मा.सं. एवं विधि)/ विपणन निदेशक/निदेशक(स्ट्रेटेजी एवं जेवी)/निदेशक(आईटी सर्विसिज)/निदेशक(सहकारिता विकास एवं ईएसपी)/ निदेशक(नई परियोजना एवं कृषि मशीनरी)
3. सभी वरि. कार्यकारी निदेशक/ कार्यकारी निदेशक
4. सभी वरि.महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. सभी विभाग/अनुभाग प्रमुख- मुख्यालय/वि.कें. कार्यालय
6. सभी इकाइयों/प्रभागों के कार्मिक व प्रशा. तथा वित्त व लेखा विभाग के प्रमुख
7. सभी रा.वि.प्रं./क्षेत्रीय प्रबंधक
8. सभी संबंधित

प्रतिलिपिः सभी इकाइयों/ प्रभागों के मान्यता प्राप्त एम्प्लायीज़ यूनियन/ऑफिसर्स एसोसिएशन के महा सचिव

प्रतिलिपिः संयुक्त महा प्रबंधक-प्रबंध निदेशक कार्यालय, मुख्यालय